मध्यप्रदेश शासन
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ. 6–23/2014/47 भोपाल, दिनांक 29 दिसंबर, 2014

प्रति,

आयुक्त–सह–संचालक,
गैस राहत एवं पुनर्वास,
1, शिवाजी नगर, भोपाल

विषयः गैस राहत चिकित्सालयों के रिक्त पदों पर संविदा मानदेय के आधार पर चिकित्सकों की नियुक्ति बावत्।

संदर्भः आपकी टीप एस.एफ.एस. 665/स्टेनो/गैरापु/2014, दिनांक 22.01.2014 एवं 14.10.2014.

000

राज्य शासन एतद् द्वारा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत संचालित चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर, विभागीय संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम–2003 के अंतर्गत निम्न पदों पर मासिक संविदा राशि पर नियुक्ति प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करता है :–

1– चिकित्सा अधिकारी (एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस.) :

क.	मासिक संविदा वेतन (चिकित्सा अधिकारी)	कुल राशि रू.
(1)	वेतनमान (15600+39100+5400 ग्रेड पे) का न्यूनतम (15600) + ग्रेड पे (5400) +107%डीए+10%गृह भाड़ा भत्ता+चिकित्सीय भत्ता 2000/–रू.+आकस्मिक सेवाएं अवकाश एवं नाइट ड्यूटी हेतु 2500/–रूपए	50,070/–

2– विशेषज्ञ (एम.एस./एम.डी./एम.डी.एस./पीजी डिप्लोमा) – स्वास्थ्य विभाग में प्रचलित नियमों के अनुरूप :

क.	मासिक संविदा वेतन (विशेषज्ञ–पी.जी.एम.ओ. डिप्लोमा)	कुल राशि रू.
(1)	वेतनमान (15600+39100+6600 ग्रेड पे) का न्यूनतम (15600) + ग्रेड पे (6600) +107%डीए+10%गृह भाड़ा भत्ता+चिकित्सीय भत्ता 3000/–रू.+आकस्मिक सेवाएं अवकाश एवं नाइट ड्यूटी हेतु 2500/–रूपए	52,437/–
(2)	मासिक संविदा वेतन (विशेषज्ञ–पी.जी.एम.ओ. डिग्री)	
	वेतनमान (15600+39100+6600 ग्रेड पे) का न्यूनतम (15600) + ग्रेड पे (6600) +107%डीए+10%गृह भाड़ा भत्ता+चिकित्सीय भत्ता 3000/–रू.+आकस्मिक सेवाएं अवकाश एवं नाइट ड्यूटी हेतु 2500/–रूपए	53,848/–

3– मासिक संविदा का निर्धारण चिकित्सा महाविद्यालय के लागू वेतनमान के आधारों पर नीचे दिये गये संवर्गों में किया गया है :

क.	मासिक संविदा वेतन (कनिष्ठ परामर्शी–सहायक प्राध्यापक के समकक्ष)	कुल राशि रू.
(1)	वेतनमान (15600+39100+7000 ग्रेड पे) का न्यूनतम (15600) + ग्रेड पे (7000) +107%डीए+10%गृह भाड़ा भत्ता+चिकित्सीय भत्ता 4000/–रूपए	53,042/–
	मासिक संविदा वेतन (परामर्शी–सह–प्राध्यापक के समकक्ष)	
(2)	वेतनमान (37400+67000+9000 ग्रेड पे) का न्यूनतम (37400) + ग्रेड पे (9000) +107%डीए+10%गृह भाड़ा भत्ता+चिकित्सीय भत्ता 5000/–रूपए	1,05,688/–
	मासिक संविदा वेतन (वरिष्ठ परामर्शी–प्राध्यापक के समकक्ष)	
(3)	वेतनमान (37400+67000+10000 ग्रेड पे) का न्यूनतम (37400) + ग्रेड पे (10000) +107%डीए+10%गृह भाड़ा भत्ता+चिकित्सीय भत्ता 5000/–रूपए	1,07,858/–

...निरन्तर 2–

2. संविदा चिकित्सकों की नियुक्ति निर्धारित उपरोक्त संविदा मानदेय पर दो वर्ष के लिये की जावेगी। चिकित्सकों के कार्य के आंकलन के आधार पर नियुक्ति में समयवृद्धि की जावेगी।

3. नियुक्त संविदा चिकित्सकों को उपरोक्त कंडिका–1 में दर्शाये अनुसार संबंधित पदों के कार्यों के अनुरूप भुगतान की पात्रता होगी।

4. चिकित्सकों की संविदा नियुक्ति से संबंधित प्रकाशन अंग्रेजी एवं हिन्दी समाचार पत्रों में किया जावे, जो महानगरों से प्रकाशित किये जाते हैं तथा स्थानीय समाचार पत्रों में नियमानुसार प्रकाशन किया जावे जिससे योग्य चिकित्सक उपलब्ध हो सकें।

5. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. कमांक 794/आर./189/बी–6/14, दि. 4.12.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के. के. दुबे)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग

पृ. कमांक एफ. 6–23/2014/47 भोपाल, दिनांक 29 दिसंबर, 2014

प्रतिलिपि :

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग, भोपाल
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. निज सचिव, प्रमुख सचिव, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत, भोपाल
6. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग

मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग मंत्रालय

क्रमांक एफ 6-23/2014/47

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल, 2015

वरिष्ठ परामर्शी, परामर्शी, कनिष्ठ परामर्शी, विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारी की संविदा नियुक्ति

मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत संचालित गैस राहत चिकित्सा इकाईयों (भोपाल) में वरिष्ठ परामर्शी, परामर्शी, कनिष्ठ परामर्शी, परामर्शी, विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति की जाना है। जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। यह आवेदन पत्र आयुक्त-सह- संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास, 01 शिवाजी नगर, रेडक्रास अस्पताल के पास, भोपाल के कार्यालय से विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 23.05.2015 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रु. 500/- (रु. पांच सौ मात्र) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु रु. 250/- (रु. दो सौ पचास मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो आयुकत सह- संचालक, गेस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल के नाम से देय हो जमा कर प्राप्त कर किये जा सकते है। भरे हुए आवेदन पत्र मय प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियों के साथ समक्ष में या पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 23.05.2015 तक आयुक्त-सह-संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास, 1 शिवाजी नगर, रेडक्रास अस्पताल के पास, भोपाल 462016 में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। डाक के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र भी निर्धारित दिनांक तक प्राप्त होना अनिवार्य है। किसी भी डाक विलंब के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

उक्त पद की निर्धारित शैक्षणिक अर्हता एवं नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तों की विस्तृत जानकारी आवेदन प्रपत्र के साथ भी संलग्न रहेगी।

(1) संविदा नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता एवं संविदा वेतन निम्नानुसार होगा :-

क्र.	संविदा पद	मासिक संविदा राशि रुपये	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	अनुभव	विषयवार रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4		
1.	वरिष्ठ परामर्शी	1,07,858/-	अर्हता :- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 की प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची या अनुसूची तीन के भाग-2 में सम्मिलित कोई चिकित्सा अर्हता (अनुसूची-तीन के भाग-2 में सम्मिलित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 13 (3) में विनिर्दिष्ट की गई शर्तें भी पूरी करने होगी) संबंधित डिसिप्लीन विषय में कोई स्नातकों अर्हता, अर्थात एम.डी. एम.एस. या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता और/या सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु एम.सी.एच. तथा मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु/डी.एम. या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता।	अनुभव :- एम.डी./एम.एस. की अर्हकारी उपाधि अभिप्राप्त करने के पश्चात संबंधित सुपर स्पेशलिटी के सुस्थापित विभाग में 2 वर्षों के विशेषज्ञ प्रशिक्षण के साथ सुपर स्पेशलिटी के विषय में मान्यता प्राप्त संस्था में न्यूनतम 14 वर्षों का अनुभव। और/या एम.सी.एच./डी.एम. या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता अभिप्राप्त करने के पश्चात सुपर स्पेशलिटी के विषय में मान्यता प्राप्त संस्था में न्यूनतम 12 वर्षों का कार्य अनुभव।	मेडिसिन-01
2	परामर्शी	1,05,688/-	अर्हता :- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 की प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची या अनुसूची तीन के भाग-2 में सम्मिलित कोई चिकित्सा अर्हता (अनुसूची-तीन के भाग-2 में सम्मिलित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 13 (3) में विनिर्दिष्ट की गई शर्तें भी पूरी करने होगी) संबंधित डिसिप्लीन/विषय में कोई स्नातकोत्तर अर्हता, अर्थात एम.डी./एम.एस. या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता और/या सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु एम.सी.एच. तथा मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु/डी.एम. या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता।	अनुभव:- एम.डी./एम.एस. की अर्हकारी उपाधि अभिप्राप्त करने के पश्चात संबंधित सुपर स्पेशलिटी के सुस्थापित विभाग में 2 वर्षों के विशेषज्ञ प्रशिक्षण के साथ सुपर स्पेशलिटी के विषय में मान्यता प्राप्त संस्था में न्यूनतम 08 वर्षों का कार्य अनुभव। और/या एम.सी.एच./डी.एम. या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता अभिप्राप्त करने के पश्चात मान्यता प्राप्त संस्था में न्यूनतम 06 वर्षों का कार्य अनुभव।	गेस्ट्रोएन्ट्रोलाजी-01 नेफ्रोलाजी-01 न्यूरोलाजी-01 कार्डियोलाजी-01 साईकेट्री-01 पैथालाजी-01 रेडियोलाजी-01 आप्थलमोलाजी-01
3	कनिष्ठ परामर्शी	53042/-	अर्हता :- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 की प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची या अनुसूची तीन के भाग-2 में सम्मिलित कोई चिकित्सा अर्हता (अनुसूची-तीन के भाग-2 में सम्मिलित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 13 (3) में विनिर्दिष्ट की गई शर्तें भी पूरी करने होगी संबंधित डिसिप्लीन/ विषय में कोई स्नातकोत्तर अर्हता, अर्थात एम.डी./एम.एस. या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता। और/या सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु एम.सी.एच. एवं मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु/डी.एम. या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता।	अनुभव:- एम.डी./एम.एस. की अर्हकारी उपाधि अभिप्राप्त करने के पश्चात संबंधित सुपरस्पेशलिटी के सुस्थापित विभाग में 2 वर्षों के विशेषज्ञ प्रशिक्षण के साथ सुपर स्पेशलिटी के विषय में मान्यता प्राप्त संस्था में न्यूनतम 01 वर्ष का कार्य अनुभव।	पैथालाजी-01 कार्डियोलाजी-01
4.	विशेषज्ञ	53,848/-	अर्हता :- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 की प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची या अनुसूची तीन के भाग-2 में सम्मिलित कोई चिकित्सा अर्हता (अनुसूची-तीन के भाग-2 में सम्मिलित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 13 (3) में विनिर्दिष्ट की गई शर्तें भी पूरी करनी होगी(संबंधित डिसिप्लीन विषय में कोई स्नातकोत्तर अर्हता, अर्थात एम.डी./एम.एस. या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता और/या सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु एम.सी.एच. एवं मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु/डी.एम. या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता।	अनुभव:- एम.डी./एम.एस. की अर्हकारी उपाधि अभिप्राप्त करने के पश्चात संबंधित सुपर स्पेशलिटी के सुस्थापित विभाग में 2 वर्षों के विशेषज्ञ प्रशिक्षण के साथ सुपर स्पेशलिटी के विषय में मान्यता प्राप्त संस्था में न्यूनतम 01 वर्ष का कार्य अनुभव।	मेडिकल विशेषज्ञ-02 शिशुरोग विशेषज्ञ-03 पैथालाजी विशेषज्ञ-03 ब्लड बैंक आफीसर-01 माईकोबायलाजी-01
5.	चिकित्सा अधिकारी	50,070/-	भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. की उपाधि एवं मध्यप्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीयन।	-	चिकित्सा अधिकारी-81

(2) आयु- संविदा नियुक्ति के लिए उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को जिसमें नियुक्ति की जाना है। न्यूनतम और अधिकतम आयु-सीमा 21 वर्ष और 65 वर्ष होगी।

(3) सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की नियुक्ति- सेवानिवृत्त चिकित्सक भी संविदा नियुक्ति के लिए हकदार होंगे।

(4) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता- अभ्यर्थी की नियुकित के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता ऐसी होगी, जो ऊपर विनिर्दिष्ट है।

(6) संविदा राशि- संविदा अधिकारी को मासिक संविदा राशि उपर दर्शाए अनुसार होगी। यह राशि शासन द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित की जासकेगी। संविदा अधिकारी राज्य शासन के अधिकारियों को लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता के लिए हकदार होगा, किन्तु वह किन्हीं अन्य प्रकार के भत्तों का हकदार नहीं होगा। संविदा अधिकारी को संविदा राशि का भुगतान उन दिनों के लिए नहीं किया जाएगा, जिनमें वह कर्तव्य पर अनुपस्थित है।

(7) निरर्हता- कोई भी अभ्यर्थी संविदात्मक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि उसकी दो से अधिक संतानें हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ था।

(8) आरक्षण- मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994), मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबन्ध) नियम, 1977 के उपबंधों के अनुसार तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार पद आरक्षित किए जाएंगे।

संविदा नियुक्ति की कालावधि एवं पदस्थापना- संविदा अधिकारी की संविदा की कालावधि अधिकतम दो वर्ष होगी। संविदा अधिकारी की नियुक्ति केवल किसी विशिष्ट इकाई के लिए होगी, किन्हीं भी परिस्थितियों में उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

नियुक्ति की अन्य शर्ते निम्नानुसार रहेगी :-

1. चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के तत्काल पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ 50 रुपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प करार निष्पादित करेगा। करार के निष्पादन पर होने वाले व्यय, चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थी उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से संविदा सेवा में माना जाएगा।
2. चयनित अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह नियुक्ति आदेश जारी होने के भीतर संविदा नियुक्ति के स्थान पर 15 दिवस में अपना कार्यभार ग्रहण करें। उक्त काल अवधि में कार्यभार न ग्रहण करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द हो जाएगी।
3. संविदा अधिकारी का चरित्र सत्यापन, शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जाएगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
4. संविदा अधिकारी द्वारा संविदा राशि प्राप्त करने के पूर्व संविदा अधिकारी स्वयं अपने खर्चे पर जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाने वाला चिकित्सीय परीक्षण करवाएगा। इस चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाए जाने पर ही संविदा नियुक्ति वैध होगी। सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को भी, यदि वे संविदा अधिकारी के रुप में नियुक्त किए जाएं, ऐसा चिकित्सीय परीक्षण करवाना आवश्यक होगा।
5. संविदा अधिकारी शासकीय सेवा में नियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होंगे।
6. संविदा नियुक्ति, किसी भी एक पक्ष द्वारा ओर किसी भी समय पर एक माह का सूचना या एक माह की संविदा राशि का भुगतान करके संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
7. संविदा अधिकारी बिना किसी विशिष्ट कारण के बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य के एक माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्त हुई मानी जाएगी।
8. संविदा अधिकारी एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 15 दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। वह एक समय में अधिकतम 3 दिनों के आकस्मिक अवकाश का उपभोग कर सकेगा/सकेगी। महिला संविदा कर्मचारी, जिसकी दो से कम जीवित संतान हों अधिकतम 90 दिनों की कालावधि के लिए प्रसूति अवकाश की हकदार होगी। उपरोक्त अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियाँ संबंधित इकाई प्रमुख में निहित होगी।
9. संविदा अधिकारी उसकी संविदात्मक कालावधि के लिए किन्हीं पेंशन संबंधी प्रसुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि देय नहीं होगा।
10. अन्य सेवा संबंधी शर्तें ऐसी होगी, जैसी नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं।
11. इसके अतिरिक्त संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास द्वारा आवश्यक सेवा शर्तों का समावेश नियुक्ति के समय किया जा सकता है।
12. संविदा अधिकारी को चिकित्सालय की आवश्यकता अनुसार एवं निर्धारित टाइम टेबिल अनुसार ड्यूटी चिकित्सालय में देनी होगी। ड्यूटी प्रातः 8 से 2 बजे तक दोपहर 2 से 8 बजे अथवा रात्रि 8 से अगले दिन प्रातः 8 बजे तक की होगी। अवकाश दिवस में ड्यूटी एवं रात्रिकालीन ड्यूटी का ऑफ संचालनालय, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नियमानुसार दिया जावेगा।
13. संविदा नियुक्त चिकित्सक, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 द्वारा शासित होगा। संविदा पर नियुक्त चिकित्सक शासन के समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सक्रिय रुप से भाग लेगा। यदि चिकित्सक ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं लेता है तो यह कदाचार माना जायेगा। संविदा पर नियुक्त चिकित्सक द्वारा किसी कदाचार पर या किसी अपराधिक क्रियाकलाप में अंतर्ग्रस्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।

(विरजिनिया एक्का)
अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग

जी-12170/15

सी.एम. हेल्पलाईन टोल फ्री नंबर 181